न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2010

प्रार्थी/वादीः—

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम

अप्रार्थी/प्रतिवादीगणः—

1. मृतक माणकलाल के कायम मुकाम—
   - 1/1 श्री किशन पिता माणकलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
   - 1/2 श्री राधाकिशन पिता माणकलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
   - 1/3 मोहनी पुत्री माणकलाल
   - 1/4 सोहनी पुत्री माणकलाल
   - 1/5 भोगादेवी पुत्र माणकलाल
   - 1/6 सुशीलादेवी पुत्री माणकलाल तमाम निवासीगण नोचोकिया सिंगपोल की घाटी रामदेव चौक जोधपुर
2. श्री योगीराज पुत्र मदनलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
3. श्री शिवराम पुत्र लादूराम जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
4. श्री साबिर भाई पुत्र अब्दुल गफूर छीपा रांगणिया मौहल्ला नुरानी गली म.नं. 45 पाली

उपस्थितिः—

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री बाबूलाल मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 06.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोयम जमाबन्दी संवत् 2064 के अनुसार प्रतिवाद संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्टरी (अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहमति से किया जा रहा है। यानि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन से उपयोग तमाम अप्रार्थीगण की सहमति से किया जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद्

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

सीमा में घनी आबादी के मध्य एवं लगती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि में किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है। एवं आस पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। जिससे कृषि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।वाद ग्रस्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र मे नहीं है। जिससे उसका संपरिवर्तन किया जाना भी संभव नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा जो मौके पर अकृषि प्रयोजन से कृषि भूमिका उपयोग किया जा रहा है। उसका विवरण नम्नानुसार है–

क्र.सं.	नाम प्रतिवादी	खसरा नम्बर	रकबा	उपयोग
1	श्री साबिर भाई पुत्र अब्दुल गफुर छीपा रागणिया मौहल्ला नुरानी गली, मकान नम्बर 45, पाली	28	1.08 बीघा (165 X150 फुट)	फैक्ट्री (हौदा, टेबले व कमरे बने हुये है तथा टेबल प्रिन्ट का कार्य चालु है।)

इस प्रकार खसरा नम्बर 28 में से 1.08 बीघा भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग किये जाने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन हो रहा है। सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 218 बीघा में से 1.08 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के निरस्त फरमाते हुए सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1/1,1/2 व 3 के विरूद्ध बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय के असालतन व वकालतन अनुस्थित रहे। जिस कारण से दिनांक 26–05–2008 को उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.06.2010 को वाद मे परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

5. वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबीर भाई की ओर से वाद की तरह कन्टेस्ट करने हेतु निवेदन करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को वाद में परिणित किया गया। अप्रार्थी साबीर भाई द्वारा खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर कपड़े की धुलाई का उद्योग नही लगा रखा है। उक्त भूमि में किये जा रहे कार्य से किसी प्रकार का वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नही फैल रहा था तथा न ही आम नागरिक के

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा था तथा न ही आपसपास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीप हो रही थी। उक्त आरोप प्रार्थी/वादी ने अपनी मनमर्जी से लगाये हैं। प्रतिवादी साबीर भाई द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था। इस बाबत कोई शिकायत/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, इस बाबत किस नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ा एवं कैसे विपरित प्रभाव पड़ा,इस बाबत् किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट/डॉक्टर की रिपोर्ट पेश नहीं की हैं तथा आसपास कृषि भूमि क्षारिप हो रही हैं। विशेषज्ञ की रिपोर्ट लाकर पेश नहीं की हैं तथा कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव किस कारण से पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ से जांच रिपोर्ट पेश नही की हैं। ऐसे में प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी साबीर भाई पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र/वाद प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य हैं।

6. वाद मे तनकियात दिनांक 01.07.2016 को निम्न प्रकार से कायम की गई–

6/1 आया मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 218 में से 1.08 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा फैक्ट्री (हौदा, टेबले व कमरे बनाये जाकर अकृषि उपयोग किया गया है जो धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है– (वादी)

6/2 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 218 में से 1.08 बीघा भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से राजकीय सिवायचक घोषित कर प्रतिवादी को बेदखल किये जाने योग्य है– (वादी)

6/3 आनुतोष।

7. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

8. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोयम जमाबन्दी संवत् 2064 के अनुसार प्रतिवाद संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्टरी (अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहमति से किया जा रहा है।कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन से उपयोग तमाम अप्रार्थीगण की सहमति से किया जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद् सीमा में घनी आबादी के मध्य एवं लगती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि में किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। उक्त कृषि भूमिं का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोयम भुमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

9. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोयम वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 44 सन् 2010

प्रार्थी / वादीः–

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम

अप्रार्थी / प्रतिवादीगणः–

1. मृतक माणकलाल के कायम मुकाम–
   1/1 श्री किशन पिता माणकलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
   1/2 श्री राधाकिशन पिता माणकलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
   1/3 मोहनी पुत्री माणकलाल
   1/4 सोहनी पुत्री माणकलाल
   1/5 भोगादेवी पुत्र माणकलाल
   1/6 सुशीलादेवी पुत्री माणकलाल तमाम निवासीगण नोचोकिया सिंगपोल की घाटी रामदेव चौक जोधपुर
2. श्री योगीराज पुत्र मदनलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
3. श्री शिवराम पुत्र लादूराम जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी जोधपुर
4. श्री साबिर भाई पुत्र अब्दुल गफूर छीपा रांगणिया मौहल्ला नुरानी गली म.नं. 45 पाली

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री बाबूलाल मेवाड़ा, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य......फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–

Scanned by CamScanner

मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	—	—
मुतफरिक	—	—	—	—	—
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.30 13:31:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: